प्रकरण संख्या : 5/2025
छीतर वगै॰ बनाम राज॰ सरकार
निर्णय दिनांक : 18.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	5/2025
दायर दिनांक	:	31.01.2025
निर्णय दिनांक	:	18.06.2025

1. छीतर पुत्र रेवडमल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. रामजीलाल पुत्र रेवडमल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. रामधन पुत्र रेवडमल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. शान्ति पत्नी छीतरमल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. सान्झा पत्नी रामजीलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
6. ऊषा पुत्री भगवानसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादा प्रहलाद जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
7. करण सिंह पुत्र भगवानसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादा प्रहलाद जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
8. लाखन सिंह पुत्र भगवानसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादा प्रहलाद जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
9. मुथरी पत्नी रामधन जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
10. सुगनी पत्नी लल्लूराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी नरवाली भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भांडारेज तहसील भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 8325, 8326, 83[illegible], 8328, 8333/2, 8334, 8335/2, 8333/1, 8323/3, 8324/1, 8323/2, 8324/2 प्रार्थीगण के नाम [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में आये दिन आवारा जानवर घुस जाते हैं तथा प्रार्थीगण के खेतों में उगी फसल को नष्ट कर देते हैं। जिससे परेशान होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर तारबन्दी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि का मौके पर मय टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्थरगढी के समय पुलिस जाप्ता होना आवश्यक है। मौके पर भूमि खाली पडी है। पत्थरगढी की जा सकती है। पडौसी खातेदारों को नोटिस तामिल किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है किन्तु प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होने के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण पेश करने से पूर्व प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण सर्वप्रथम तहसीलदार भाण्डारेज के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का निर्धारित समयावधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ★ उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested